रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड (I)

PART II—Sub-section (I)

प्राधिकार से

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894

No. 103] NEW DELHI, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 1st April 1972

G.S.R. 231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 201/71-Central Excises dated the 10th July, 1971.

[No. 119/72-C.E.—F. No. 91/3/72-CX-3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 221 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 135/71—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1971 को विखंडित करती है ।

[सं० 119/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—फा० सं० 91/3/72-के० उ० शु०-3]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972